न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

–संशाधित आदेश–

दिनांक :– 06.08.2025

रणजीत सिंह बनाम मनप्रीत कौर व अन्य

विविध प्रकरण संख्या 007/2024
निर्णय दिनांक 31.01.2025
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी/अप्रार्थी सं0 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.02.2025 पेश कर निवेदन किया है कि उक्त अनवानी प्रकरण में निर्णय दिनांक 31.01.2025 से उभयपक्ष को वादग्रस्त भूमि हस्तान्तरित न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। बहस के समय दोनों पक्षों ने यह सहमति दी थी कि अप्रार्थी संख्या 01 मनप्रीत कौर के पति करणवीर का देहान्त होने पर करणवीर की भूमि का इंतकाल अप्रार्थी सं0 01 के नाम कर दिया जाता है तो पक्षकारान को कोई आपति नहीं हैं। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में करणवीर की भूमि बाबत अप्रार्थी सं0 01 के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज करने बाबत हुई सहमति का निर्णय में सहवन से उल्लेखन होने से अप्रार्थी सं0 01 के नाम विरासतन इंतकाल नहीं किया जा रहा है। ऐसी सूरत में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार कर या उक्त आदेश विरासतन इंतकाल पर प्रभावी नहीं का आदेश दिया जाना इंसाफन आवश्यक है। अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2025 का करणवीर के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि का विरासतन इंतकाल करणवीर की पत्नी अप्रार्थी सं0 01 के नाम दर्ज किया जावे तो उक्त आदेश प्रभावी नहीं है का आदेश प्रदान किया जावे।

अप्रार्थी/प्रार्थी द्वारा ज़रिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये कथन किये कि वादी द्वारा जनाबवाला के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब [illegible] के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनाबवाला ने दिनांक 31.01.2025 को [illegible] फैसला जारी किया गया। यह कहना सरासर गलत है कि दोनों पक्षों ने सहमति दी थी कि अप्रार्थी सं0 01 मनप्रीत कौर के पति कर्णवीर का देहान्त होने पर कर्णवीर की भूमि का इन्तकाल प्रतिवादी सं0 01 के पक्ष में कर दिया जावे तो पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि ऐसा कहीं लिखित में नहीं दिया गया। प्रथम दृष्टि से मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति को देखते हुए दिनांक 31.01.2025 को स्थगन आदेश विधि अनुसार किया गया। जनाबवाला के आदेश को परिवर्तन करने का अब

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कोई अधिकार नहीं है। अगर अप्रार्थी सं0 01 को काई आपत्ति है तो उन्हें विधिवत रूप से जनाबवाला के आदेश दिनांक 31.01.2025 के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया है उसमें कहीं भी संहवन से रहना नहीं दर्शाया गया है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2025 का अवलोकन किया गया एवं पूर्व में प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुभाष मिढढा द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। चुकि अधिवक्ता वादी ने वाद के लम्बन काल तक केवल रहन, बैय न करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के निवेदन किया था जबकि विरासतन इंतकाल की हद तक अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होने पर उन्हे कोई आपति नही थी। अतः न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 31.01.2025 जो प्रश्नगत आराजी चक 7 बी बड़ी, पटवार हल्का सुजावलपुर, भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र हिन्दूमलकोट, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 80/63 के मुरब्बा नं0 53 में 0.815 हैक्टे0 नहरी, मुरब्बा नं0 57 में 1.822 हैक्टे0 नहरी, मुरब्बा नं0 89/19 की 0.038 हैक्टे0 खाला, इस प्रकार कुल 2.675 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि को उभयपक्ष रहन, बैय व अन्य तरीके से हस्तान्तरण न करें एवं मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें को विरास्तन इंतकाल की हद तक निष्प्रभावी किया जाता है।

संशोधित आदेश मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 06 अगस्त, 2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
RAS
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:17 IST
Reason: SelfAttested